संख्या-34/2016/392/22-4-16-119(ब)2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2016

विषय- जिला कारागार प्रतापगढ़, रायबरेली पीलीभीत, मऊ जनपद न्यायालय उन्नाव, सिद्वार्थनगर, एटा, बस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, जिला कारागार व जनपद न्यायालय महराजगंज, महोबा, हमीरपुर के वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निर्गत मूल स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6703/नम-2 टी0सी0, दिनांक- 04 मार्च,2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-91/2015/402/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए),दिनांक-29.03.2015 तथा शासनादेश संख्या-92/2015/403/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए),दिनांक-29.03.2015, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के पास अनुपयुक्त पड़ी धनराशि रू0 35.05 लाख का समायोजन क्रमशः जनपद न्यायालय फतेहपुर में कक्ष के निर्माण हेतु रू0 21.75 लाख व जनपद न्यायालय उन्नाव में कक्ष के निर्माण हेतु रू0 13.30 लाख एवं यू0पी0 कास्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के पास के अनुपयुक्त पड़ी धनराशि रू0 87.00 लाख का समायोजन क्रमशः जनपद न्यायालय अमरोहा हेतु रू0 21.75 लाख, जनपद न्यायालय श्रावस्ती हेतु रू0 21.75 लाख जनपद न्यायालय गौतमबुद्वनगर हेतु रू0 21.75 लाख तथा जिला कारागार व जनपद न्यायालय महोबा हेतु रू0 21.75 लाख समायोजित करने की अनुमति प्रदान करते हुए जिला कारागार प्रतापगढ़, रायबरेली पीलीभीत, मऊ जनपद न्यायालय उन्नाव, सिद्वार्थनगर, एटा, बस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, जिला कारागार व जनपद न्यायालय महराजगंज, महोबा, हमीरपुर के वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार अवशेष रू0 2,56,21,000/-(रूपया दो करोड़ छप्पन लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ननिम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र0	कारागार/जनपद न्यायालय का नाम	अवशेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	जिला कारागार, प्रतापगढ	12.92
2	जिला कारागार रायबरेली	12.92
3	जिला कारागार पीलीभीत	12.92
4	जिला कारागार मऊ	12.92
5	जनपद न्यायालय उन्नाव	8.45
6	जनपद न्यायालय सिद्वार्थनगर	21.75
7	जनपद न्यायालय एटा	23.31
8	जनपद न्यायालय बस्ती	18.59
9	जनपद न्यायालय सहारनपुर	21.75
10	जनपद न्यायालय सीतापुर	21.75
11	जनपद न्यायालय श्रावस्ती	3.40
12	जिला कारागार व जनपद न्यायायल महराजगंज	34.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	जिला कारागार व जनपद न्यायायल महोबा	14.555
14	जिला कारागार व जनपद न्यायायल हमीरपुर	36.305
	योग-	256.21

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 29.03.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16- प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यवस्थित (प्रति संलग्न) धनराशि रू0 2,56,21,000/-(रूपया दो करोड़ छप्प्न लाख इक्कीस हजार मात्र) में से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या- 34/2016/392(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़, रायबरेली, पीलीभीत, मऊ, उन्नाव, सिद्वार्थनगर, एटा, बस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, महराजगंज, महोबा एवं हमीरपुर।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in